संख्या-20/2023/743/005-23-14099-099-74-2022

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बांदा, चित्रकूट, ललितपुर,
झांसी एवं जालौन।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 29 मार्च, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद- बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर एवं झांसी की 12 परियोजनाओं का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक तालिका में अंकित पत्रों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

क्र0सं0	मण्डलायुक्त	आयुक्त के पत्र संख्या एवं दिनांक
1.	आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा	संख्या-410/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 03.09.2022, संख्या-538/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 02.11.2022, संख्या-459/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 22.11.2022, संख्या-578/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 23.11.2022, संख्या-587/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 29.11.2022, संख्या-599/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 30.11.2022, संख्या-676/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 07.01.2023, संख्या-687/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 12.01.2023, संख्या-713/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 18.01.2023, संख्या-716/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 21.01.2023, संख्या-721/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 23.01.2023
2.	आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी	संख्या-1184/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.02.2023, संख्या-1174/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 09.02.2023, संख्या-1185/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.02.2023, संख्या-1163/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 07.02.2023, संख्या-1133/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 27.01.2023, संख्या-1120/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 21.01.2023, संख्या-1118/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 20.01.2023, संख्या-1104/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 18.01.2023, संख्या-1103/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 17.01.2023, संख्या-1007/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 15.12.2022, संख्या-951/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 23.11.2022, संख्या-978/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 03.12.2022, संख्या-936/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 16.11.2022, संख्या-935/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 16.11.2022, संख्या-866/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 25.10.2022, संख्या-703/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 31.08.2022,

सन्दर्भित पत्रों द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद- बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर एवं झांसी की कुल 12 परियोजनाओं, जिनका विवरण निम्न तालिका में अंकित है, का निर्माण कराये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त धनराशि रू0 1899.16 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ निन्यानवे लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि (जिसमें अधिष्ठान व्यय 6.875 प्रतिशत, लेबर सेस 1 प्रतिशत, मूल्यह्रास निधि 1.5 प्रतिशत एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 645.70 लाख (रुपये छह करोड़ पैंतालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि बुन्देलखण्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 अन्तर्गत कार्यो का विवरण

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्यदायी संस्था	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	मूल्यांकन पश्चात लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	बांदा	प्रा0ख0, लो0नि0वि0	बद्री यादव का डेरा से रामदेव यादव के डेरा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.50	128.72	43.76
2.	चित्रकूट	प्रा0ख0, लो0नि0वि0	ग्राम जमौली सम्पर्क मार्ग से उच्च प्राथमिक विद्यालय अमवां पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.20	103.48	35.18
3.	जालौन	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	महेशपुरा से सलैया खुर्द सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	1.80	159.73	54.31
4.	जालौन	नि0ख0-3 लो0नि0वि0	पिपरौंधा से टिकावली सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 व 2 का निर्माण कार्य।	2.00	185.20	62.97
5.	जालौन	नि0ख0-3 लो0नि0वि0	सिकन्ना दुर्गा देवी से निपनियां ग्राम तक सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 व 2 (600) का नव निर्माण कार्य।	1.60	146.54	49.82
6.	ललितपुर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	विकास खण्ड-जखौरा के ग्राम गोरा में भरत लोधी के मकान से सोरोवन रजक के घर की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	0.82	80.22	27.27
7.	ललितपुर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	विकास खण्ड-बार के ग्राम बिल्ला में चन्द्रपाल के मकान से फूलसिंह लोधी के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	0.967	81.76	27.80
8.	ललितपुर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	विकास खण्ड-जखौरा के ग्राम गोरा में रमेश चौधरी के मकान से कुमेश चौकीदार के घर की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	0.75	100.75	34.26
9.	ललितपुर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	विकास खण्ड मड़ावरा के ग्राम-सरखड़ी में गौड बाबा से नन्दलाल बरार के मकान की ओर तथा अन्य गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण।	0.78	78.54	26.70
10.	झांसी	नि0ख0-3 लो0नि0वि0	अटा से भौना दोहरे होते हुए रतनगढ़ माता मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.25	291.72	99.18
11.	झांसी	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	रमपुरा से सिमरधा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	4.05	315.08	107.13
12.	झांसी	नि0ख0-3 लो0नि0वि0	जनपद झांसी में शिवपुरी रोड स्थित नहर के दूसरी ओर पटरी पर गढ़िया गांव तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.50	227.42	77.32
			योग	**23.217**	**1899.16**	**645.70**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबंधो:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(3) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(6) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25-01-2011 के अनुसार विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) विभाग द्वारा मूल्यह्रास आरक्षित निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी।

(9) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) यदि प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है, तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) नियमानुसार यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

(15) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त शासन को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(16) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम (राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत द्वारा) के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किये गये हैं।

(17) विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(18) यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(19) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/ बी-1-454/ दस-2022-231/ 2022 दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(20) उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्व एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,45,70,000 (रुपये छह करोड़ पैंतालीस लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 056 **लेखा शीर्षक** 4575608000400 बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-832-X-2022-23-दिनांक:27-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-20/2023/743(1)/005-23-14099-099-74-2022, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
10- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/ नियोजन विभाग/लोक निर्माण अनुभाग-10
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in